

## Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

### Section 14 : Definitions

In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“advance ruling”** means a decision provided by the Authority or the Appellate Authority to an applicant on matters or on questions specified in sub-section (2) of section 97 or sub-section (1) of section 100 of the Central Goods and Services Tax Act, in relation to the supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant;
  - (b) **“Appellate Authority”** means the Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 16.
  - (c) **“applicant”** means any person registered or desirous of obtaining registration under this Act;
  - (d) **“application”** means an application made to the Authority under sub-section (1) of section 97 of the Central Goods and Services Tax Act;
  - (e) **“Authority”** means the Authority for Advance Ruling, constituted under section 15;
-

## अध्याय 7 अग्रिम विनिर्णय

### धारा 14 : परिभाषाएं

इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अग्रिम विनिर्णय” से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किया गया है या जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों पर या प्रश्नों पर किसी आवेदक के प्रति प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है;
- (ख) “अपील प्राधिकरण” से धारा 16 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) “आवेदक” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (घ) “आवेदन” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;
- (ङ) “प्राधिकरण” से धारा 15 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण अभिप्रेत है।